टोडाभी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बन अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडाभीम

इजलास पीठासीन अधिकारी [illegible]

उनवान

प्रेमदेवी [illegible] गंगाराम [illegible]
ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम [illegible]
रामकुमार पुत्र हरदेव [illegible]
1 नंदकिशोर [illegible] हरदेव
2 [illegible] पुत्र हरदेव जाति [illegible]
[illegible] निवासी [illegible] तह० टोडाभीम जिला - करौली

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]

दावा बाबत [illegible] भूमि [illegible] बाबत विभाजन

मुकदमा नं० [illegible]

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल पेश होकर [illegible] व हाजिरी [illegible] विपक्षीगण पूर्व कथित [illegible]

मन्दर्जे जैल मुताबिक पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी [illegible] [illegible] डिक्री [illegible] किया जाता है कि ग्राम [illegible] की भूमि [illegible] 331 रकबा 0.01 है 332 रकबा 0.37 है 333 रकबा [illegible] कुल किता 6 कुल रकबा 1.36 है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हिस्सा 1/4 है [illegible] [illegible] [illegible] हिस्सा 1/4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हिस्सा 1/4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

——— मुताबिक ——— खर्चा ——— खर्चा इस मुकदमे के बाबत

[illegible] ——— दीवानी मालान आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

——— का अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 माह 05 सन् 2017 को जारी की गई।

हस्ताक्षर [illegible]
ओहदा [illegible]

मुहर

	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
[illegible] अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible] वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			मेहनताना वकील		
[illegible] वकील			खर्चा गवाहान		
[illegible] गवाहान			फीस कमिशन		
[illegible] कमिशन			खर्चा इजराय हुक्मनामा		
[illegible] इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
[illegible]					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चों के बारे पर कुल खर्चा [illegible] डिक्री [illegible] [illegible]

2/3 उत्तमचन्द पुत्र सीताराम
3/4 संतोष पुत्र सीताराम
4 [illegible] पुत्र [illegible]
5 रामचन्द्र पुत्र रामदेव
6 भरतलाल पुत्र रामदेव
7 रामप्यारी पत्नि रामदेव
8 [illegible] पुत्र सोन्या फोर
8/1 [illegible] पुत्री [illegible]
8/2 [illegible] पुत्री [illegible]
8/3 सोना पुत्री [illegible]
9 भगनीदेवी पत्नि मूलचन्द
10 चुन्नीलाल पुत्र सोन्या
11 तहसीलदार टोडाभीम
12 उपपंजीयक टोडाभीम
13 राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौ[illegible]

सगल्ला [illegible]
[illegible]
तहसील [illegible]
करौ[illegible]

जिला कलक्टर [illegible]

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला-करौली

मु.नं. 9/15

तारीख 26.2.15

पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य R.A.S

उनवान

1. प्रेमदेवी बेवा गंगाराम उर्फ गंगसहाय
2. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम उर्फ गंगसहाय
3. रामकुमार पुत्र हरदेव (फौत)
3/1. नंदकिशोर पुत्र हरदेव
3/2. दौलत पुत्र हरदेव

जाति बैरवा निवासी मोरड़ीपुर तह. टोडाभीम जिला-करौली

(वादीगण)

बनाम

1. हनुमान पुत्र गोपीराम
2. लालाराम पुत्र लेखा (फौत)
2/1 सुरेश पुत्र लालाराम
2/2 ओमप्रकाश पुत्र लालाराम
2/3 ललिता बेवा लालाराम
3 सीताराम पुत्र सुखदेव (फौत)
3/1 मुकेश पुत्र सीताराम
3/2 रोहताश पुत्र सीताराम
3/3 ज्ञानचंद पुत्र सीताराम
3/4 हंसो बेवा सीताराम
4 शोभाराम पुत्र रामदेव
5. रामचंद पुत्र रामदेव
6. भरतलाल पुत्र रामदेव
7. रामप्यारी बेवा रामदेव
8. भागचन्द पुत्र लेखा (फौत)
8/1 हंसो पुत्री भागचन्द
8/2 मोनी पुत्री भागचन्द
8/3 सोमा पुत्री भागचन्द
9 जयन्ती देवी पत्नि मूलचंद
10 चुन्नीलाल पुत्र लेखा

समस्त जाति बैरवा निवासी - मोरड़ीपुर तहसील - टोडाभीम जिला - करौली

11. तहसीलदार टोडाभीम
12. उप पंजीयक टोडाभीम
13. राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली (प्रतिवादीगण)

Scanned by CamScanner

द्वारा अजय कुमार दीक्षित एडवोकेट [illegible] एवं
[illegible] निस्तारण

उपस्थिति - श्री विजय भारती एडवोकेट (वादीगण)
प्रतिवादीगण की ओर से कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 8.5.2017

प्रस्तुत न्याय [illegible] द्वारा [illegible] पेश हुआ। वादी [illegible] उपस्थित। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है। आराजी खाता खसरा नम्बर 151 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा ग्राम मेहंदीपुर में इस्तमाल वादी नं. 3 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं 4 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नं 3 हिस्सा 1/6 तथा वादी नं 2 के बाबा के भाई व वादी नं. 3 के पिता रूपदेव तथा वादी नं 2 के बाबा के भाई रामदेव का 1/3 हिस्सा के [illegible] खातेदार काश्तकार है। जिसमें से वादी नं. 3 ने अपने हिस्से 1/4 को प्रतिवादी नं 1 व 2 को विक्रय कर दिया था। जिसका इन्द्राज [illegible] 2015 से 2014 में स्पष्ट अंकित है। खाता खसरा नम्बर 151 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा की जमीन खसरा नम्बर 318 रकबा 15 ऐयर, 331 रकबा 01 ऐयर, 332 रकबा 33 ऐयर, 333 रकबा 35 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 हे० कायम किये गये हैं। जिसमें प्रतिवादी नं 1 व 2 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं. 3 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नं 4 ता 7 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नं 8 हिस्सा 1/4 खातेदारी दर्ज की गई है। जिसमें से प्रतिवादी नं 8 ने अपने 1/8 हिस्से को प्रतिवादी नं 2 व 10 को दिनांक 5.1.2017 को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी नं 8 ने दिनांक 3.1.2016 को अपने शेष बचे 1/8 हिस्से में से 1/12 हिस्सा प्रतिवादिया नं 9 को विक्रय कर दिया है। अब प्रतिवादी नं 8 के हक में हिस्सा 1/24 शेष रहा है। यह है कि उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं 3 ता 7 के पूर्वज रूपदेव, रामदेव, सुखदेव की हक खातेदारी [illegible] थी। वादी एवं प्रतिवादी नं 3 ता 7 का [illegible] इस प्रकार है।

[illegible]

वादीगण एवं प्रतिवादीगण [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] इनकार कर दिया [illegible]

[illegible] अपने हिस्से की [illegible]

[illegible]

और आने की धमकी दी कि [illegible]

[illegible]

[illegible]

वादीगण व प्रतिवादीगण का [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने का आदेश किया गया। प्रतिवादीगण में से कोई उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी को साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गया बाद में वादी वकील एवं वादीगण में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी खारिज हो गया। इस प्रकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र 09.8.1 अदम पैरवी दीवानी प्रस्तुत करने पर सुनवाई पर स्वीकार करने के बाद दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी कर तामील किया गया। प्रतिवादीगण को पुनः की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादी नं. 3,7,8 के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं. 3,7,8 के कायम मुकामान भी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए, उनके खिलाफ भी एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथपत्र वादिया प्रेम, ओमप्रकाश तथा गवाह मुकेश [illegible] प्रस्तुत किये। वादी की ओर से दस्तावेज जमाबंदी संवत 2052-2055 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2034-2037 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2038-2041 प्रदर्श 3, मिलान खेवट संवत 2043-2062 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2043-2062 आधार वर्ष प्रदर्श 5, जमाबंदी संवत 2070-2073 प्रदर्श 6 प्रस्तुत किये। इसके बाद वादी संख्या 3 रामकुमार के फौत हो जाने पर दिनांक 02.2.18.3 आवेदन पेश किया जाकर सुनवाई पर दिनांक स्वीकार हुई। वादी वकील ने संशोधित दावा पेश किया।

वादी वकील की बहस सुनी गई। बहस में संशोधित दावे को दोहराते हुए बयान किया कि [illegible] नं. 4,5,7 ने वादीगण के बुजुर्ग [illegible] के हिस्से को अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि उक्त [illegible] वादीगण के बुजुर्ग प्रतिवादीगण के बुजुर्ग [illegible] की [illegible] मृतक [illegible] के हिस्से की भूमि में से [illegible] 1/4 भूमि

(लगातार)

[illegible]

विवाद वादीगण काबिज है जो वादीगण के नाम खतौनी दी जावे। तथा प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 के बजाय उनके नाम हिस्सा 1/6 दर्ज किया जाना चाहिए। वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादपत्र में नक्शा की जो रिपोर्ट चाही गई है वादीगण नक्शा की रिपोर्ट नहीं चाहते है नक्शा की रिपोर्ट वापिस लेते है दावा फाईनल डिक्री करवाया जावे। यह प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2054-2057 प्रदर्श 2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 151 की भूमि वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है। मिसल हकीयत संवत 2063-2012 प्रदर्श 4 के अनुसार जदीद खसरा नम्बर 318, 331, 332, 333 बने है। आपत्तिजनक जमाबंदी संवत 2063-2012 प्रदर्श 5 में इच्छिया के स्थान पर उसका हिस्सा रामरिख के नाम ही दर्ज कर दिया गया है। जबकि इच्छिया का हिस्सा उसके वारिसान वादीगण के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण का दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने के योग्य प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा नक्शा की रिपोर्ट वापिस लिये जाने के कारण नक्शा करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः वादीगण का दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा खातेदारी विरुद्ध प्रतिवादीगण न. 4 ता 7 डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोहरीपुर की भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 0.65 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 332 रकबा 0.33 है०, 333 रकबा 0.35 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर में प्रतिवादी नं 4 ता 7 भीमाराम, रामचन्द्र, भगवानाराम, रामेश्वर रामप्यारी बेवा रामदेव को उनके हिस्से में दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर उनको हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी नम्बर 1 व 2 प्रेमदेवी व ओमप्रकाश को हिस्सा 1/12 हिस्सा बराबर तथा वादी नं. 3 के फौत हो जाने पर उसके वारिस वादी नम्बर 3/1 से 3/4 को हिस्सा 1/12 हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित

(लगातार)

किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्से की आराजियात के कब्जे काश्त में जबरान मदाखलत नहीं करे। सभी डिक्री जारी करें। तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner